

# मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 27 अगस्त, 2001 (भाद्र 5, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल.

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज, एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

### 4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल गौर, अजय विश्वाजी, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी स्थित रानी अवंतीबाई सागर बांध के गेट टूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लालसिंह राणावत, मुंशीलाल, हिम्मत कोठारी, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम कछालिया स्थित कुए से जहरीली गैस निकलने के कारण कई लोगों की मौत होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 5. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित  
समय  
2 घण्टे

मानव अधिकार आयोग का प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा आयोग की क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के जापन पर चर्चा.

### 6. नियम 139 के अधीन अखिलमन्त्रीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घण्टा  
30 मि.

मध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा तथा कुंवर विजय शाह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :  
दिनांक : 25 अगस्त, 2001

डॉ. ए. के. पयासी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.